प्रेस नोट

जनपद लखीमपुर खीरी की **तहसील मितौली** की निम्नलिखित ग्राम सभाओं में छः माह से अधिक समय से उचित दर दुकानें रिक्त चल रही है। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से समयांतर्गत प्रस्ताव पारित न हो पाने की स्थिति में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–742/जि0पू0अ0/दुकान/2018 दिनांक 16 नवम्बर, 2018 के माध्यम से **तहसील मितौली** की निम्नलिखित रिक्त चल रही उचित दर दुकानों पर शासनादेश संख्या–2715/29–6–2002–162सा0/2001 दिनांक 17 अगस्त, 2002 एवं यथासंशोधित संख्या–03/2018/ 1620/29–6–2018–616/17 दिनांक 30.07.2018, शासनादेश संख्या–04/2018/1786/29–6–2018–300 सा0/03टी0सी0 दिनांक 30.07.2018 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन करते हुए नवीन उचित दर विक्रेताओं की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी कर उचित दर विक्रेताओं के चयन हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अतः जिलाधिकारी महोदय के निर्देश दिनांक 16 नवम्बर, 2018 के अनुपालन में **तहसील मितौली** में उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेता की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्रमॉक	तहसील	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	निर्धारित वर्टिकल आरक्षण	निर्धारित होरिजेन्टल आरक्षण
1.	मितौली	बेहजम	भूलनपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
2.	मितौली	बेहजम	भदूरी	अन्य पिछड़ा वर्ग	भूतपूर्व सैनिक/सम्बन्धित आरक्षित श्रेणियों के लड़ाई में मारे गये सैनिक के परिवार के सदस्य, कर्तव्य निर्वहन के दौरान मारे गये केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवार के सदस्य, लड़ाई में घायल सैनिक अथवा उसके परिवार के सदस्य, कर्तव्य निर्वहन के दौरान घायल हुए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य तथा भूतपूर्व सैनिक
3.	मितौली	मितौली	मदारपुर	अनारक्षित	महिला
4.	मितौली	मितौली	खंजननगर	अनारक्षित	भूतपूर्व सैनिक/सम्बन्धित आरक्षित श्रेणियों के लड़ाई में मारे गये सैनिक के परिवार के सदस्य, कर्तव्य निर्वहन के दौरान मारे गये केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवार के सदस्य, लड़ाई में घायल सैनिक अथवा उसके परिवार के सदस्य, कर्तव्य निर्वहन के दौरान घायल हुए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य तथा भूतपूर्व सैनिक
5.	मितौली	मितौली	अबगांवा	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग
6.	मितौली	मितौली	चपरदहा	अनुसूचित जाति	भूतपूर्व सैनिक/सम्बन्धित आरक्षित श्रेणियों के लड़ाई में मारे गये सैनिक के परिवार के सदस्य, कर्तव्य निर्वहन के दौरान मारे गये केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवार के सदस्य, लड़ाई में घायल सैनिक अथवा उसके परिवार के सदस्य, कर्तव्य निर्वहन के दौरान घायल हुए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य तथा भूतपूर्व सैनिक
7.	मितौली	मितौली	सरैया	अन्य पिछड़ा वर्ग	भूतपूर्व सैनिक/सम्बन्धित आरक्षित श्रेणियों के लड़ाई में मारे गये सैनिक के परिवार के सदस्य, कर्तव्य निर्वहन के दौरान मारे गये केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवार के सदस्य, लड़ाई में घायल सैनिक अथवा उसके परिवार के सदस्य, कर्तव्य निर्वहन के दौरान घायल हुए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य तथा भूतपूर्व सैनिक
8.	मितौली	मितौली	खानपुर ग्रन्ट	अन्य पिछड़ा वर्ग	भूतपूर्व सैनिक/सम्बन्धित आरक्षित श्रेणियों के लड़ाई में मारे गये सैनिक के परिवार के सदस्य, कर्तव्य निर्वहन के दौरान मारे गये केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के

क्र०	तहसील	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	निर्धारित वर्टिकल आरक्षण	निर्धारित होरिजेन्टल आरक्षण
					परिवार के सदस्य, लड़ाई में घायल सैनिक अथवा उसके परिवार के सदस्य, कर्तव्य निर्वहन के दौरान घायल हुए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य तथा भूतपूर्व सैनिक
9.	मितौली	मितौली	सिरसा	अनारक्षित	महिला
10.	मितौली	मितौली	बैबहा	अनारक्षित	अनारक्षित
11.	मितौली	मितौली	मितौली	अनारक्षित	भूतपूर्व सैनिक/सम्बन्धित आरक्षित श्रेणियों के लड़ाई में मारे गये सैनिक के परिवार के सदस्य, कर्तव्य निर्वहन के दौरान मारे गये केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवार के सदस्य, लड़ाई में घायल सैनिक अथवा उसके परिवार के सदस्य, कर्तव्य निर्वहन के दौरान घायल हुए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य तथा भूतपूर्व सैनिक
12.	मितौली	मितौली	बिछियानगरा	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
13.	मितौली	पसगवॉ	जमुनिया कढिले	अनारक्षित	अनारक्षित

शासनादेशानुसार आवेदन हेतु अनिवार्य अर्हतायें :-

01. अभ्यर्थी के खाते में कम से कम 40 हजार रूपया उपलब्ध हो ताकि वह अपनी दुकान को आंवटित एक माह की सामग्री का एक बार में उठान करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हो।

02. सामान्य ख्याति अच्छी हो।

03. शिक्षित हो ताकि वह दुकान का हिसाब किताब सही रूप से रख सके।

04. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामले पंजीकृत न हो और न ही वह किसी आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो।

05. अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक हो और परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम कोई दुकानें आंवटित न हो। परिवार का तात्पर्य निम्नलिखित व्यक्तियों के समूह से है :-

    1- परिवार का मुखिया।
    2- पति/पत्नी विधिक रूप से अपनाये गये दत्तक सन्तान सहित।
    3- वयस्क सन्तान जो परिवार के मुखिया पर पूर्ण रूप से आश्रित हो।
    4- अविवाहित, विधिक रूप से पृथक और विधवा बेटी, और
    5- परिवार के मुखिया के पूर्ण रूप से आश्रित माता/पिता।

06. दुकानदार स्थानीय निवासी हो (स्थानीय से तात्पर्य उसी ग्राम सभा का निवासी होना चाहिए)।

07. अभ्यर्थी द्वारा 1000.00 रूपये (एक हजार) की अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट **''जिला पूर्ति अधिकारी'' के पक्ष में** जमा किया जायेगा। उपरोक्त अर्नेस्ट मनी दुकानों के आंवटन की स्थिति में प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जायेगी।

08. दुकानों की नियुक्ति की स्थिति में अभ्यर्थी को 5000.00 (पॉच हजार) रूपये की प्रतिभूति जमा करनी होगी तथा रू0 350.00 का नानजूडिशियल स्टाम्प पेपर लगाना होगा। यह प्रतिभूति केवल नये नियुक्ति होने वाले दुकान के अभ्यर्थियों से ली जायेगी।

उपर्युक्त अर्हतायें पूर्ण करने वाली आवेदक अपना आवेदन प्रत्येक दशा में दिनांक 24.01.2019 तक तहसील परिसर में स्थित आपूर्ति कार्यालय में डाक/व्यक्तिगत द्वारा प्रेषित किया जायेगा। दिनांक 24.01.2019

की सायं 05.00 बजे के बाद आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि उक्तानुसार रिक्त ग्राम पंचायतों में से किसी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा उचित दर दुकान नियुक्त हेतु प्रस्ताव पारित किया जा चुका होगा तो उक्त ग्राम पंचायत हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच करने तथा निर्धारित मानक को पूर्ण करने वाले आवेदकों को तहसील स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन की कार्यवाही शासनादेशानुसार निर्धारित प्रक्रिया से किया जायेगा।

उप जिलाधिकारी,
तहसील मितौली

कार्यालय उप जिलाधिकारी, तहसील मितौली

पत्रांक 1606 /जि0पू0अ0/दुकान/2019 दिनांक 10 जनवरी, 2019

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पार्क रोड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्तानुसार जनहित में प्रेस नोट को किन्हीं दो दैनिक समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
02. संयुक्त आयुक्त (खाद्य), लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
03. जिलाधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
04. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), लखीमपुर खीरी।
05. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, लखीमपुर खीरी को इस निर्देश के साथ कि वह इसे जनपद लखीमपुर खीरी की वेबसाइट पर अपलोड करायें।
06. सहायक निदेशक सूचना, जनपद लखीमपुर खीरी को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार प्रेस नोट को जनहित में समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
07. क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक, **तहसील मितौली** को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित ग्राम सभा में सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करायें।

उप जिलाधिकारी,
तहसील मितौली